23.07.2024:—पत्रावली प्रार्थना पत्र पर पेशी मे ली गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा फर्द अहकाम पर not press किया गया। प्रार्थी ने अपना वादपत्र विड्रा कर लिया है। मूल वाद पत्र विड्रा होने के कारण प्रार्थना—पत्र मे कोई कार्यवाही शेष नही रह जाती। मूल वादपत्र विड्रा होने के कारण प्रार्थी उक्त प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. मे वर्तमान स्तर पर खारिज कि जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2024.08.06 10:45:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़